IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

विभिन्न सामाजिक कुरितियों के खिलाफ सरकार के द्वारा बनाई नितियों के प्रति बी.एड. प्रषिक्षार्णिथियों की जागरूकता

नर्देषिका

डॉ. आरती गुप्ता

(असिस्टेटं प्रोफेसर)

प्रस्तुतीकर्ती

पायल सैनी

एम.एड.छात्रा

प्रस्तावनाः–

महिला और पुरूष समाज के अभिन्न अंग है। दोनो समाज स्पी गाडी के दो पहियें है। यदि एक पहिया कमजोर होगा तो गाडी रूक जाती है और सामाजिक संतुलन खतरे में पड सकता है। ऐसे में समतामूलक समाज की स्थापना का प्रयास अधुरा रह सकता है। कन्या बचाओं, महिला उत्पीडन, जात–पात, भेदभाव सहित सामाजिक मुद्धो पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष 1999 से प्रयास कर लागे ों की संवेदनाओं को झकझोर कर समाज में समता लाने के लियें ग्रामीणों को जागरूक करने का काम कर रहे है। वर्ष 2003 से भ्रूणहत्या और महिला उत्पीडन के खिलाफ लागे ों को जागरूक करने के खिलाफ एक मुहिम छोडी। वर्ष 2010 में संकल्प उठाओं बेटी बचाओं अभियान और महिला उत्पीडन के खिलाफ जिले में मुहिम चलाकर समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया।

षिक्षा मानव समाज को एक सामाजिक प्राणी बनाकर सांस्कृतिक धरोहर को आगे आने वाली पीढी को हस्तान्तरित करने के योग्य बनाती है। षिक्षा द्वारा ही बालक का सर्वांगिण विकास होता है। वह अपना व्यक्तिगत जीवन सुखमय बनाता है। और सामाजिक जीवन में अपने कर्तव्यों को पालन करते हुयें राष्ट्र को विकास में सहयोग देता है।

एक राष्ट्र की उन्नति उसके नागरिकों पर निर्भर है। जैसा कि सर्वविदित है कि आज का बालक देष का भावी नागरिक है। जिसे समाज ही पूर्ण रूप से तैयार करता है। इसलियें आवष्यक है कि हमारे भावी नागरिक योग्य कुषल एवं आदर्ष व्यक्तित्व लिये हो।

उद्यमिता क्षमताओं का विकासः–

''नियमित आय से उनका आत्मविष्वास बढा है और अब वे अपनी आय को बढावा देने के अन्य रास्तों को तलाषना चाहती है। आन्ध्र प्रदेष में भी एक ऐसे ही उब्ल्यूटीवी ने लगभग 350 ग्रामीण महिलाओं को प्रषिक्षित किया है और उन्हे हर्बल उत्पादों खाद्यान सामग्री और कॉस्मेटिक जैसे उत्पादों के बारे में प्रषिक्षण दिया गया है।

महिला संषक्तीकरणः–

महिला सषक्तीकरण का अर्थ है कि महिलाओं की आध्यात्मिक राजनीतिक सामाजिक या आर्थिक शक्ति में वृद्धि करना। सषक्तिकरण सम्भवतः निम्नलिखित या इसी प्रकार की क्षमताओं को मिलाकर है। स्वयं द्वारा निर्णय लने की शक्ति होना।

कई विकल्प उपलब्ध होना जिनसे आप चुनाव कर सके (केवल हाँ/नही, यह/वह ही नही) दहेज निषेधः–

दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लने ` या इसके लेन–देने में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000/–रू. के जुर्मान ेका प्रावधान।

दहेज निषेध अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने धारा 304बी, 498ए, धारा 406 आदि का प्रावधान किया है।

दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 को दहेज अधिनियम संषोधन अधिनियम 1984 और 1986 को तौर पर संषोधित किया गया है। दहेज उन्मूलन के लियें जरूरी कदम।

– कुछ बातो को अपना कर समाज से इस बुराई को मिटाया जा सकता है।

– अपनी बेटियों को षिक्षित करे।

– उन्हे अपने कैरियर के लियें प्रोत्साहित करे।

–उन्हे स्वतंत्र और जिम्मेदार होना सीखाएं।

–अपनी बेटी के साथ बिना किसी भेदभाव के समानता का व्यवहार करे।

आम लागे ो पर दहेज निरोधक पहल का असरः–

– वे माता–पिता जो अपनी पुत्रियों को षिक्षित करने पर अधिक जोर नही देते, क्योंकि वे यह समझते है, कि बाद में उनके पति उन्हे सहारा देगे।

–समाज के गरीब हिस्से जो अपनी पुत्रियों से काम करवाते है, ताकि वे कुछ कमाई कर सके जिन्हे वे उनके दहेज के लियें बचाकर रख सके। कन्या भ्रूण हत्याः–

भारतीय दंड सहिता 1860 के तहत

प्रवधानः– भारतीय दंड सहिता की धारा 312 करती है कि जो कोई भी जानबूझकर किसी महिला का गर्भपात करता है। जब तक कि कोई इसे संदिग्ध से नही करता है और गर्भावस्था का जारी रहना महिला के लियें खतरनाक न हो उसे सात साल की कैद की सजा दी जायेगी।

(1) धारा 313ः– महिला की सहमति के बिना गर्भपात

(2) धारा 314ः– गर्भपात की कोषिष के कारण महिला की मृत्यु।

– 1971 में संसद में गर्भी की चिकित्सकीय संबंधित संषोधन

– 1971 (एमटीपी) पारित हुआ जो 1 अप्रेल 1972 को लागु हुआ है।

–एमपीटी एक्ट ने गर्भ को समाप्त करने की दषए (धारा3) और ऐसा करने के लियें व्यक्ति (धारा200) और स्थान (धारा 4) को निर्धारित किया गया है।

– पीसी एंड पीएन डीटी ेके तहत प्रतिबंधित कृत्य।

(क) अजन्में बच्चे के लिगं का निर्धारण करना।

(ख) गर्भवती को लिगं निर्धारण परीक्षण के लियें मजबूर करना।

(ग) पीसी एंड पीएन डीटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत क्लिनिको द्वारा अभिलखे ाो को भली भांति सहेज कर नही रखना।

– समस्या की आवष्यकता और महत्वः–

वर्तमान समय में सभी उन्नति पथ पर अग्रसर है। ऐसे में उन्हे विभिन्न प्रकार की परिस्थियों से सामना करना पडता है। यदि वे परिस्थितियों का सामना डटकर करते है। तो वे समाज को एक आदर्ष दर्जा दिलाने में कामयाबी हासिल कर लगे ें।

व्यवहारिक परिपक्वता का गुण ही उनकी नेतृत्व क्षमता को दर्षाता है।

परिपक्वता व नेतृत्व आदि गुणो का विकास विद्यालयी जीवन में ही हो जाता है। विद्यालय में होने वाली विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ सरकार

द्वारा बनाई गई नीतियों के प्रति स्नातक स्तर के विद्यार्थी में जागरूकता का विकास होता है।

– क्या विद्यार्थियों को नेतृत्व संबंधि समस्या होती है।

–क्या विद्यार्थी सामाजिक रूप से जल्दी परिपक्व हो जाते है।

उपरोक्त प्रष्नों का हल जानने के लियें एवं सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों को लाभ मिलने के उद्धेष्य से शोधकर्ता ने सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय के विद्यार्थियों के अनेक पक्षो मे से निम्नलिखित तीन पक्ष अध्ययन मं शामिल किए।

1. विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों के प्रति बी. एड. प्रषिक्षणार्थियों की जागरूकता का अध्ययन करना।

शाधे ा समस्या का अभिकथनः–

''विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों के प्रति बी. एड. प्रषिक्षणार्थियों की जागरूकता का अध्ययन''

प्रस्तुत अध्ययन में शाधे ाकर्ता ने विषय की गाीरता को समझते हुयें तथा अनुसंधान की आवष्यकता को देखते हुयें प्रस्तुत विषय का अध्ययन किया है।

शोध के उद्धेष्यः–

(1) बी.एड. विद्यार्थियों की जागरूकता का अध्ययन करना।

(2) बी.एड. विद्यार्थियों की सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता का अध्ययन करना।

(3) विषय की गंभीरता तथा अनुसंधान की आवष्यकता को देखते हुए विषय का अध्ययन।

शोध की परिकल्पनाः–

परिकल्पना शब्द का अर्थ एक उपकथन से होता है। जो समस्या के समाधान के लियें आवष्यक है। शोंधकर्ता परिकल्पना की पिष्ट करने का प्रया करता है जब कभी किसी संभावित सिद्धान्त की प्रदतो तथा प्रमाणों के आधार पर पुष्टि की जाती है तब उस परिकल्पना की संज्ञा दी जाती है। परिकल्पना की पुष्टि हो जाने के बाद शोध कार्य के निष्कर्ष निकल आते है।

परिकल्पना का अंग्रेजी में भ्लचवजीमेपे कहते है। जो दो शब्दों हाइपो का अर्थ सम्भावित या जिसकी पुष्टि की जायें तथा थीसिस का अर्थ हुआ वह सम्भावित कथन जो समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। अर्थात परिकल्पना इस समाधान को प्रस्तुत करती है। जिसकी पुष्टि प्रदत्त द्वारा की जा सके। परिकल्पनाऐंः–

(1) बी.एड. विद्यार्थियों की जरूरत की जागरूकता का अध्ययन में कोई सार्थक अन्तर नही है।

(2) बी.एड. विद्यार्थियों की सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता का अध्ययन में कोई सार्थक अंतर नही है।

(1) जागरूकताः–

समस्या में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण बी.एड. प्रषिक्षणार्थीः– राजस्थान सरकार द्वारा संचालित ऐसे महाविद्यालय जिनमें षिक्षा संकाय में बीएड. की षिक्षा प्रदान की जाती है। अनुसंधान का प्रारूप :–

शोध विधि– शाधे ा विषय की समस्या को भली प्रकार समझकर , अध्ययन से संबंधित साहित्य का अवलाके न कर शाधे ाकर्ता ने अनुसंधान हेतु सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया। सर्वेक्षण विधिः–

किसी घटना की जाँच करना परीक्षण एवं आंकडो का एकत्रित करना ही सर्वेक्षण है और

अनुसंधान हेतु तथ्यों का अध्ययन एवं विषुद्ध व्याख्या करने वाली विधि ही सर्वेक्षण विधि कहलाती है। सेखिया एवं मल्होत्रा के अनुसारः—

सर्वेक्षणविधि सामान्यतः:— ऐसें अनुसंधान के लियें प्रयुक्त की जाती है, जिसका उद्धष्ये यह ज्ञात करता है कि किसी तथ्य की वर्तमान व सामान्य स्थिति तथा
व्यवहार क्या है।

न्यायदर्ष का चयनः—

शाध्े ाकर्ता ने प्रस्तुत शाध्े ा पाठ्य सहसामग्री क्रियाओं में भाग लेने वाले व न लने` वाले विद्यार्थियों की नेतृत्व क्षमाता व सामाजिक परिपक्वता का अध्ययन हेतु न्यादर्ष के लियें फतेहपुर से कक्षा के 200 विद्यार्थियों का चयन किया है।

उपकरणः— शोधकर्ता ने अपना शाध्े ा अध्ययन में माध्यमिक स्तर के विद्यालय में सामाजिक परिपक्वता व नेतृत्व क्षमता का परीक्षण किए। शाध्े ाकर्ता कार्य का सीमांकनः—

अध्ययन को गहन बनाने के लिय` साथ ही साथ समय व धन की बचत अनुसंधान प्रक्रिया के निष्चित परिणामों तक पहुचाने के लियें व अध्ययन को को विष्वसनिय व वैद्य बनाने के लियें
शाध्े ाकर्ता ने अपनी अनुसंधान को निम्न सीमाओं तक परिसीमित रखने का प्रयास किया है।

1- प्रस्तुत अध्ययन केवल सीकर तहसील के बी. एड. प्रषिक्षणार्थियों तक ही सीमित है।
2- प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्ष के रूप में 200 विद्यार्थियों को ही सम्मिलित किया गया है।
3- प्रस्तुत अध्ययन में केवल बी.एड. कक्षा के विद्याथ्रियों को ही सम्मिलित किया गया है।
4- प्रस्तुत अध्ययन मे सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया
5- प्रस्तुत अध्ययन में सामाजिक जागरूकता का अध्ययन किया गया हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1- अग्रवाल.आर.एन. (1983) :— व्यक्ति प्रकृति एवं मापन विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा।
2- अग्रवाल.आर.एन. (1963) :— व्यक्ति प्रकृति एव ं मापन विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा।
3- अरोडा रीताः— षिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी, षिक्षा प्रकाषन जयपुर।
4- अस्थपना विपिनः— मनोविज्ञान और षिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन विनोद पुस्तक मंदिर 'आगरा।
5- भार्गव, महेष, वषिष्ठ कमला एवं सिंह एम. के. (1996) शैक्षिक प्रबंध एवं षिक्षा की समस्याएं '' सूर्या पब्लिक मेरठ
6- भार्गव महेष (1987—88) आधुनिक मनोविज्ञान परीक्षण एवं मापन हरिप्रसाद भार्गव, कचहरीघाट आगरा। सातवा संस्करण।
7- भार्गव.ए.बी. (1992) मनोविज्ञान और षिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन (प्रथम संस्करण) आर.लाल बुक डिपों मेरठ।
8- भुजंगराव (1992) :— विद्यालय दर्पण सविता प्रकाषन दिल्ली।